भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद्
INDIAN COUNCIL OF FORESTRY RESEARCH & EDUCATION
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की एक स्वायत्त परिषद्)
(An Autonomous Body under the Ministry of Environment, Forests & Climate Change, Government of India)
पो० ओ० न्यू फॉरिस्ट, देहरादून - 248 006 (उत्तराखण्ड)
P.O. New Forest, Dehradun- 248 006 (Uttarakhand)

RAJIV PANDEY
Assistant Director General (Admin.)
Directorate of Administration

E-mail: adg_admin@icfre.org
Phone No.: 0135 - 2750297 (O)
Mob. No.: 7579001853

सं० 3–24/2014–15/भा०वा०अ०शि०प/प्रशासन/कैन्टीन/भाग–2 दिनाँकः 16.06.2022

सेवा में

____
____
____
____

विषयः भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद्, देहरादून की जलपान गृह संचालन के सम्बंध में।

महोदय,

भा०वा०अ०शि०प०, (मुख्यालय) देहरादून की जलपान गृह (कैंटीन) के संचालन हेतु कोटेशन आमंत्रित की जाती है, अतः दिनाँक 24.06.2022 सायं 5:00 बजे मोहर बंद लिफाफे में अथवा पूर्व सहायक महानिदेशक (प्रशासन) भा०वा०अ०शि०प०, देहरादून के कक्ष संख्या 106 में प्रस्तुत की जानी चाहिए।

भवदीय,

राजीव पांडेय 16/6

(राजीव पांडेय)
सहायक महानिदेशक (प्रशासन)

संलग्नकः

1- नियम एवं शर्ते
2- प्रफोर्मा

नियम और शर्ते

1. रुपये की बयाना राशि जमा (ई०एम०डी०) रुपये 5000/- सहायक महानिदेशक (प्रशासन), भा०वा०अ०शि०प०, देहरादून के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट/एफ०डी०आर० के रुप में। ई०एम०डी० इस प्रकार होगी (गलत सूचना देने पर जब्त की जा सकती है)
2. फर्म के पास कम से कम तीन (03) वर्षों का अनुभव होना चाहिए, समान प्रकार के कार्य/संविदा के क्षेत्र मे (विधिवत हस्तांक्षरित)
3. रुपये गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर में हलफनामे की हस्ताक्षरित प्रति रुपये 10/- फर्म द्वारा कि इसे किसी भी सरकार द्वारा कभी भी ब्लैक लिस्टेड/डिर्जित/प्रतिबंधित नही किया गया है। विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र/किसी अन्य विभाग को बोली के साथ संलग्न किया जाना चाहिए, ऐसा नहीं करने पर बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा।
4. भा०वा०अ०शि०प (प्रथम पक्ष) केवल कैटीन स्थान, फर्नीचर उपलब्ध कराएगा। बिजली एवं समस्त मानव शक्ति पर व्यय ठेकेदार (द्वितीय पक्ष) द्वारा वहन किया जाएगा।
5. नाश्ता और भोजन भा०वा०अ०शि०प०/व०अ०सं० प्रतिनियुक्त कर्मचारियों, सलाहकारों कर्मचारियों या डीम्ड विश्वविद्यालय के छात्रों, आई०जी०एन०एफ०ए०/ सी०ए०एस०एफ०ओ०ऐस०/डी०एफ०ई० के कार्यालय के आई०एफ०एस० परिवीक्षाधीनों और अन्य सभी के छात्रों सहित सभी कर्मचारियों को रियायती दर पर उपलब्ध कराया जाएगा।
6. वस्तुओं की दर (आगंतुकों के लिए) प्रदर्शित करेगा। द्वितीय पक्ष कैंटीन में एक सुझाव या शिकायत पुस्तिका भी रखेगा।
7. **वह नाश्ता इत्यादि डयूटी के काम के घंटों के भीतर यानी सुबह 08:30 बजे से सायं 6:00 बजे तक और कर्मचारियों को केवल दोपहर 1:00 बजे से 2:00 बजे के बीच भोजन करने की अनुमति होगी।**
8. अपने स्वयं के कंटेनर या डिस्पोजेबल कंटेनरों में भोजन की सेवा की अनुमति होगी तथा डिस्पोजेबल केटेनरों की लागत स्वयं वहन करेगा।
9. द्वितीय पक्ष कैंटीन में स्वास्थ्यकर स्थिति बनाए रखेगा और समिति कैंटीन और उत्पादों की स्वच्छता की जांच कर सकती है। यदि निरीक्षण के दौरान कोई उल्लंधन पाया जाता है, तो एक माह का नोटिस जारी कर अनुबंध समाप्त कर दिया जाएगा।
10. सहायक महानिदेशक (प्रशासन) भा०वा०अ०शि०प० के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी समय अनुबंध को रद्द करने का एकमात्र अधिकार होगा।
11. सफल द्वितीय पक्ष को सुरक्षा राशि के रुप में रुपये 20000/- जमा करने होंगे। असफल बोलीदाता को बिना ब्याज के EMD को वापिस किया जाएगा। सफल बोलीकर्ता की ई०एम०डी सुरक्षा जमा राशि की प्राप्ति के बाद वापिस कर दी जाएगी।
12. द्वितीय पक्ष संतोषजनक ढंग से सौंपे गए गए कार्यों को अच्छी तरह से और सही मायने में निष्पादित/निष्पादित करेगा। यदि निष्पादन में कोई चूक पाई जाती है तो सहायक महानिदेशक (प्रशासन), भा०वा०अ०शि०प० के लिए यह अधिकार होगा कि वह जमानत राशि को जब्त कर ले।

13. द्वितीय पक्ष को एफ०एस०एस०ए०आई० के प्रावधानों द्वारा अनुमोदित भोजन में मानक और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली सामग्री का उपयोग करना होगा।

14. द्वितीय पक्ष को कार्यालय की कैंटीन में पकाने एवं परोसने के लिए बर्तनों, ईंधन एवं अन्य सामग्री का प्रबंध करना होगा। कभी भी, ईंधन के लिए ईंधन काष्ठ (जलाऊ लकडी) के प्रयोग की अनुमति की अनुमति नही दी जायेगी।

15. अनुबंध की अवधि में किए गए किसी भी नुकसान के लिए अथवा किसी भी प्रकार के कर्ज के लिए विभाग जिम्मेदार नही होगा, एवं सामान की हानि के लिए पूर्ण रूप से द्वितीय पक्ष जिम्मेदार होगा

16. पैंसिल से भरी व अस्पष्ट (संशोधित/काट-छांट एवं ऊपरी लिखावट) कोटेशन पर विचार नही किया जायेगा।

17. बोलीदाता द्वारा बोली/ कोटेशन के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर किया जाना चाहिए। अपूर्ण और बिना हस्ताक्षर के कोटेशन अस्वीकार कर दी जायेंगी।

18. किसी परिस्थितिवश अथवा नियमों एवं शर्तो के अंतर्गत यदि बोलीदाता एवं विभाग के बीच किसी प्रकार की असहमति या विवाद उत्पन्न हो तो वो मामले को सौहार्दपूर्ण ढंग से प्रत्यक्ष अनौपचारिक बातचीत से हल करने का हर संभव प्रयास करेंगे। यदि फिर भी, इस संबंध मे कोई असहमति उत्पन्न होती है, तो यह मामला महानिदेशक, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद्, डाकघर - न्यू फोरेस्ट, देहरादून - 248006 के अधिकार क्षेत्र में होगा एवं महानिदेशक की तरफ से विवाद को सहायक महानिदेशक (प्रशा.) के स्तर पर सुलझाने का प्रयास किया जायेगा समझौता न होने की स्थिति में सहायक महानिदेशक (प्रशा.) द्वारा प्रस्तावित समझौते के विरूद्व कैंटीन संचालक, उपमहानिदेशक (प्रशा.) के समक्ष समस्या के उचित समाधान हेतु अपील कर सकता है एवं उपमहानिदेशक (प्रशा.) का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

19. द्वितीय पक्ष सख्ती रूप से किसी प्रकार की शराब/गुटखा/तम्बाकू/सिगरेट/पान मसाला/बीडी अथवा मादक द्रव्य नही बेचेगा। यदि शराब/गुटखा/तम्बाकू/सिगरेट/पान मसाला/बीडी अथवा अन्य मादक द्रव्य के संबंध में कोई उल्लंघन पाया गया तो, इस प्रकार के प्रत्येक उल्लंघन के लिए द्वितीय पक्ष को रूपये 1,000/- तक का जुर्माना दंड के रूप में भरना होगा।

20. भोज्य सामग्री के प्रतिरूप/अस्वच्छता के प्रत्येक मामले में ठेकेदार को उसके समरूप रूपये 1,000/- का जुर्माने के लिए जिम्मेदार होगा। यदि द्वितीय पक्ष को निम्नतम दर मूल्य अथवा भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद के अनुमोदित मूल्य से अधिक के मूल्य पर सामग्री बेचने की स्थिति में पाया जाता है, तो प्रत्येक उल्लंघन के लिए उसे रूपये 1,000/- का जुर्माना देना होगा।

21. **द्वितीय पक्ष द्वारा कैन्टीन संचालन हेतु फ्रिज/डीप फ्रिजर इत्यादि की सुविधा अपने स्तर पर करनी होगी।**

22. **द्वितीय पक्ष द्वारा कैंटीन का विद्युत शुल्क वास्तविक खपत के अनुसार जमा करना होगा।**

23. अनुबंध की शीघ्र समाप्ति की इच्छा की स्थिति में, द्वितीय पक्ष को सहायक महानिदेशक (प्रशासन) भा०वा०अ०शि०प० को एक माह पूर्व लिखित सूचना देनी होगी।

24. द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि कोई भी अनधिकृत सदस्य कैंटीन के परिसर में न बैठे और अवैध उद्देश्यों के लिए कैंटीन का उपयोग न करें।

25. **अनुबंध की शुरूआत में अनुबंध समझौते में प्रवेश करने की तारीख से एक वर्ष के लिए होगी। द्वितीय पक्ष के प्रदर्शन के आधार पर अनुबंध की अवधि रुपये 10% अतिरिक्त किराए के साथ 1 वर्ष के लिए बढ़ा दी जाएगी।**

26. प्रपत्र में उल्लिखित भोजन/ नाश्ते की लागत का अनुपात अनिवार्य होगा और अनुबंध की अवधि के दौरान महानिदेशक, भा०वा०अ०शि०प० से पूर्वानुमोदन लिए बिना किसी भी परिस्थिति में किसी भी वस्तु की लागत को द्वितीय पक्ष द्वारा नहीं बढ़ाया जाएगा।

27. द्वितीय पक्ष को व०अ०सं०/भा०वा०अ०शि०प० कार्यालयों में सम्मेलन/सेमीनार के मामले में मांग के अनुसार चाय/कॉफी आदि परोसना होगा।

28. द्वितीय पक्ष रुपये 100/- के गैर-न्यायिक स्टांप पेपर पर अपने खर्च पर एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करेगा।

29. द्वितीय पक्ष को जलपान गृह को उसी स्थिति में सौंप देना चाहिए जैसा कि कब्जा करने के समय उन्हें दिया गया था और यदि कोई नुकसान पाया जाता है, तो द्वितीय पक्ष से शुल्क वसूल किया जाना चाहिए।

30. प्रस्ताव की स्वीकृती के बाद दिए गए 15 दिनों/याा समय के भीतर कैंटीन का पूर्ण रुप से अधिग्रहण करना आवश्यक है।

31. **यदि संस्थान परोसे जाने वाले जलपान की गुणवत्ता, प्रदान की गई सेवाओं या अपने कर्मचारियों के द्वितीय पक्ष के व्यवहार से संतुष्ट नहीं है, तो द्वितीय पक्ष को दोष को सुधारने के लिए 48 घंटे का नोटिस दिया जाएगा, ऐसा न करने पर भा०वा०अ०शि०प०, देहरादून उचित समझे जाने वाले उचित आवश्यक कदमों के लिए स्वतंत्र होगा।**

32. यदि अनुबंध की अवधि के दौरान किसी भी समय, भा०वा०अ०शि०प०, देहरादून के संज्ञान में आता है कि एजेंसी/ द्वितीय पक्ष ने भा०वा०अ०शि०प०, देहरादून को गलत/झूठी जानकारी देने दी है जो उसे अनुबंध प्रदान करने में महत्वपूर्ण रही है, अनुबंध समाप्ति के लिए उत्तरदायी होगा अन्यथा कानूनी कार्रवाई के अलावा जो एजेंसी/ द्वितीय पक्ष या मालिक/भागीदारों/निदेशकों या एजेंसी/ द्वितीय पक्ष के मामलों के लिए जिम्मेदार किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कानून के तहत शुरु की जा सकती है।

33. जलपान को साफ बर्तनों में पकाया और परोसा जाना चाहिए और इस संबध में किसी भी तरह की ढिलाई की अनुमति नहीं दी जाएगी।

34. द्वितीय पक्ष रसोई और कैंटीन में साफ-सफाई, के उच्च स्तर को सुनिश्चित करेगा।

35. द्वितीय पक्ष सभी जलपान को मख्यिों और कीड़ों से मुक्त शोकेस में ढककर रखने की व्यवस्था करेगा। कचरे के उचित निपटान को सुनिश्चित करने के लिए द्वितीय पक्ष द्वारा र्प्याप्त संख्या में कूड़ेदान उपलब्ध कराए जांएगे।

36. कैंटीन के भीतर किसी भी प्रकार के अनुपयोगी जलपान या किसी अन्य वस्तु का कूड़ा-करकट नहीं होना चाहिए। द्वितीय पक्ष यह भी सुनिश्चित करेगा कि भा०वा०अ०शि०प०, देहरादून परिसर में इस्तेमाल किए गए बर्तन जैसे कप, प्लेट नहीं पड़े हैं और इन्हें तुरंत और बार-बार हटाया जाना चाहिए।

37. द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि पका हुआ और कच्चा भोजन ठीक से संग्रहीत है और कोई बासी भोजन नहीं परोसा जाता है। किसी भी खाद्य विषाक्तता के मामले में, द्वितीय पक्ष पूरी तरह से जिम्मेदार होगा और कानूनी कार्रवाई के अलावा दंडित किया जाएगा।

38. द्वितीय पक्ष का कैंटीन में बेचे जाने वाले सभी खाद्य पदार्थों, शीतल पेय, चाय, कॉफी और जूस आदि की मेनू और दर सूची प्रदिर्शित करना आवश्यक होगा।

39. द्वितीय पक्ष कैंटीन परिसर का उपयोग किसी अन्य गतिविधि के लिए नहीं करेगा, सिवाय उस उद्देश्य के जिसके लिए इसे प्रदान किया गया है।

40. कैंटीन संचालन हेतु Good Safety and Standard Registration Certificate under FSS Act, 2006 होना अनिवार्य है अथवा 6 माह. के अन्दर प्रस्तुत करना होगा।

41. **कैंटीन संचालन हेतु जलपानगृह का मासिक किराया रूपये 10,000/- भुगतान कराना होगा।**

42. दिए गए प्रफोर्मा में उचित दर भरकर हस्ताक्षर कर कोटेशन के साथ उपलब्ध कराये।

Specifications and Allied Details

(Description of the items and specifications)

S.N.	Canteen items on fixed rates	For ICFRE Staff	For outside Visitors
		(Amount in Rs.)	
1.	**Lunch** *(Dal, Vegetable, 4 Chapattis/Puri, Dahi, Rice and Water)* *&* *Sweet Dish (On demand at extra rate)*		
2.	**Tea** (150ml) *(Freshly prepared/Flavoured (Black)*		
3.	**Samosa** *(60gm.)*		
4.	**Pakora** *(100 gm.)*		
5.	**Bread Pakora** *(Fresh)*		
6.	**Standard Tea** *(Tea Bags in Disposable Cups)*		
7.	**Other items** *(please attach Menu Card/List*		
8.	**Other branded items** *(on MRP)*		
9.	**Soft Drinks/Juice etc.**		

I.. hereby declare that I shall be abide by the rules and regulations mentioned in the Tender Documents.

Signature of the Second Party
(With seal of the firm)